दिनांक 30.10.2025
प्रेस विज्ञप्ति 38/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफः जनपद प्रयागराज के थाना धूमनगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 342/2025 में वांछित एवं रू0 50,000—50,000 के पुरस्कार घोषित अभियुक्तगण इरफान अहमद व मो0 हुसैन जनपद चित्रकूट से गिरफ्तार।

दिनांक—29—10—2025 को एसटीएफ उत्तर प्रदेश को कमिशनरेट प्रयागराज के थाना धूमनगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 342/2025 में वांछित एवं रू0 50,000—50,000 के पुरस्कार घोषित अभियुक्तगण इरफान अहमद व मो0 हुसैन को जनपद चित्रकूट से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः—

1— इरफान अहमद पुत्र मकबूल अहमद, निवासी मोहल्ला रसूलपुर, मरियाडीह थाना पूरामुक्ती कमिश्नरेट प्रयागराज।

2— मो0 हुसैन पुत्र हसनैन निवासी मरियाडीह, थाना पुरामुक्ती कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय :—

मनिकपुर रेलवे स्टेशन के सामने, थाना मनिकपुर, जनपद चित्रकूट। दिनांक—29—10—2025 समय—17.05 बजे।

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री दिनेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उ0नि0 श्री अमित कुमार तिवारी, मु0आरक्षी आलोक कुमार पाण्डेय, मु0आरक्षी अमित कुमार सिंह, मु0आरक्षी जितेन्द्र कुमार वर्मा, मु0 आरक्षी स्वरूप कुमार पाण्डेय, आरक्षी आदित्य पाल की टीम जनपद चित्रकूट में आपराधिक अभिसूचना संकलन की कार्यवाही में भ्रमणशील थी कि थाना धूमनगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 342/2025 में वांछित एवं रू0 50,000—50,000 के पुरस्कार घोषित अभियुक्तगण इरफान अहमद व

मो0 हुसैन उपरोक्त की चित्रकूट में मौजूद होने की मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए एसटीएफ टीम द्वारा मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान मनिकपुर रेलवे स्टेशन के सामने, थाना मनिकपुर जनपद चित्रकूट पर पहुॅचकर उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण इरफान अहमद पुत्र मकबूल अहमद व मो0 हुसैन पुत्र हसनैन ने संयुक्त पूछतांछ पर बताया कि दिनांक 21.10.2025 को मुण्डेरा चुंगी पेट्रोल टंकी पर हम और हमारे साथियों द्वारा रावेन्द्र कुमार पुत्र केशव लाल जो पेट्रोल टंकी पर पेट्रोल भरवा रहा था। मौका पाकर हम लोगों ने पेट्रोल टंकी पर ही ईट पत्थर से मार कर उसकी हत्या कर दी, जिससे हम लोगों का पहले से ही विवाद था। उक्त घटना के सम्बन्ध में मृतक के भाई नरेन्द्र कुमार उर्फ राजन पासी पुत्र श्री केशव लाल निवासी 225/26ए नीमसराय प्रयागराज द्वारा हम लोगों के विरूद्ध धूमनगंज पर मु0अ0सं0–342/2025 धारा–103(1), 352, 191(2) 3(5) बीएनएस व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट का मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया। हम लोगों को जानकारी हुई कि जो मुकदमा पंजीकृत हुआ था उसमें पुरस्कार घोषित हो चुका है, जिसमें गिरफ्तारी के डर से लुक–छिप कर स्थान बदल–बदल कर रह रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण इरफान अहमद पुत्र मकबूल अहमद व मो0 हुसैन पुत्र हसनैन उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत मु0अ0सं0–342/2025 धारा–103(1), 352,191(2) 3(5) बीएनएस व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना धूमनगंज कमिशनरेट प्रयागराज में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

अभियुक्त इरफान अहमद पुत्र मकबूल अहमद का ज्ञात आपराधिक इतिहास–

1–मु0अ0सं0–454/2016 धारा–149, 201, 302, 34 364, 507 भादवि थाना धूमनगंज प्रयागराज।

2–मु0अ0सं0–486/2016 धारा–147,148, 149, 307, 504 भादवि व 3(1)(10) एससी/एसटी एक्ट थाना धूमनगंज प्रयागराज।

3–मु0अ0सं0–535/2019 धारा–379 भादवि सिविल लाइन प्रयागराज।

4–मु0अ0सं0–71/2020 धारा–379/411 भादवि थाना सिविल लाइन प्रयागराज।

5–मु0अ0सं0–74/2020 धारा–4/5 विस्फोट पदार्थ अधि0 सिविल लाइन प्रयागराज।

6–मु0अ0सं0–763/2021 धारा–13 सार्वजनिक जुआ अधि0 थान धूमनगंज प्रयागराज।

7– मु0अ0सं0–325/2022 धारा–13 सार्वजनिक जुआ अधि0 थान धूमनगंज प्रयागराज।

जनपद फतेहगढ़/थाना कम्पिल

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 29.10.2025 को थाना कम्पिल व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बूढ़ी गंगा नदी पुल के पास चेकिंग के दौरान बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त रोहित उर्फ कीड़ा घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद फतेहगढ़, कासगंज के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कम्पिल पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कम्पिल पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रोहित उर्फ कीड़ा निवासी ग्राम सिरसा थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन।

जनपद अमरोहा/थाना रहरा

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **लगभग 03 लाख रूपये कीमत की चोरी की बैटरे, इन्वर्टर, डीवीआर सोलर पैनल, प्रेशर कुकर, सीपीयू, सिलेण्डर आदि बरामद**

दिनॉकः 30.10.2025 को थाना रहरा व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर छपना लालापुर रोड के बीच कीकर जंगल से 06 अभियुक्तों 1—पंकज 2—गुड्डू 3—दीपक 4—रिजवान 5—फैसल 6—विशाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 03 लाख रूपये कीमत की चोरी की बैटरे, इन्वर्टर, डीवीआर सोलर पैनल, प्रेशर कुकर, सीपीयू, सिलेण्डर आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना रहरा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रहरा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद बैटरे आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना रहरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—पंकज निवासी ग्राम पतेई खादर थाना रहरा जनपद अमरोहा।

2—गुड्डू निवासी ग्राम पतेई खादर थाना रहरा जनपद अमरोहा।

3—दीपक निवासी ग्राम पतेई खादर थाना रहरा जनपद अमरोहा।

4—रिजवान निवासी ग्राम पतेई खादर थाना रहरा जनपद अमरोहा।

5—फैसल निवासी ग्राम पतेई खादर थाना रहरा जनपद अमरोहा।

6—विशाल निवासी ग्राम पतेई खादर थाना रहरा जनपद अमरोहा।

बरामदगी

1—लगभग 03 लाख रूपये कीमत की चोरी की बैटरे, इन्वर्टर, डीवीआर सोलर पैनल, प्रेशर कुकर, सीपीयू, सिलेण्डर आदि।

जनपद फिरोजाबाद/थाना फरिहा

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 क्विंटल 75 किलोग्राम (04 बण्डल) बिजली का तार**
- **02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 कार आदि बरामद**

दिनांक 29.10.2025 को थाना फरिहा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मसरलगंज रोड़ से दभारा जाने वाले रास्ते पर बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–पिन्टू उर्फ राहुल 2–सीताराम घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3–राकेश 4–देवेन्द्र सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 क्विंटल 75 किलोग्राम (04 बण्डल) बिजली का तार, 02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 कार आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त पिन्टू उर्फ राहुल शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद, एटा व कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 22 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना फरिहा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–पिन्टू उर्फ राहुल निवासी ग्राम हलपुरा आखलाबाद थाना मटसेना जनपद फिरोजाबाद।

2–सीताराम निवासी राठौर नगर आसफाबाद थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।

3–राकेश निवासी करीमनगर थाना ताजगंज कमिश्नरेट आगरा।

4–देवेन्द्र निवासी अखलाबाद थाना मटसेना जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1–लगभग 01 क्विंटल 75 किलोग्राम (04 बण्डल) बिजली का तार।

2–02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–01 कार आदि।

- **<u>जनपद रामपुर/थाना शाहबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 61 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद रामपुर द्वारा थाना शाहबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 137(2)/127(2) बीएनएस व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त टिंकू को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 61 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना शिकारपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना शिकारपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 4, 8 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त जमाल को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना मंसूरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास की सजा व 04 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना मंसूरपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307/120बी भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मोहन को 07 वर्ष के कारावास व 04 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————